

मांग संख्या 27
मुख्य शीर्ष 2202

मद क्रमांक 1

पूर्व माध्यमिक शालाओं के कर्मचारियों के वेतन भत्ते आदि के लिये अतिरिक्त राशि रूपये 12,597.60 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 1,25,97,60,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 2 से 3

कस्तुरबा गांधी आवासीय विद्यालय हेतु राज्यांश राशि रूपये 20.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 20,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 4 से 5

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के कर्मचारियों के वेतन भत्ते के लिये अतिरिक्त राशि रूपये 81.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 81,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 6 से 7

सर्वशिक्षा अभियान हेतु राज्यांश राशि रूपये 2500.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 25,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 8

एस.सी.ई.आर.टी. के कर्मचारियों के वेतन भत्ते के लिये अतिरिक्त राशि रूपये 17.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 17,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 9

सरकारी शिक्षा महाविद्यालय के कर्मचारियों के वेतन भत्ते के लिये अतिरिक्त राशि रूपये 1.10 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 1,10,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 4202

मद क्रमांक 10 से 11

जिला कबीरधाम के पंडरिया विकास खण्ड में कन्या छात्रावास निर्माण हेतु राशि रूपये 42.50 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 42,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।